रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230600
CG-DL-E-22102021-230600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4022] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2021/आश्विन 29, 1943
No. 4022] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ASVINA 29, 1943

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4373(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 653 (अ), तारीख 11 फरवरी, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 फरवरी, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रतिउत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व (एनएसटीआर) आंध्र प्रदेश के नाल्लमारा पर्वतमाला (पूर्वी घाटों की शाखा) में स्थित है। कोर और बफर के साथ बाघ रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल 3727.82 वर्ग किलोमीटर है जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, कुरनूल और गुंटूर जिलों में फैला है। बाघ रिज़र्व के क्षेत्र का गठन दो वन्यजीव अभयारण्य अर्थात् राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम् वन्यजीव अभयारण्य (जीबीएम) करते हैं। राज्य के द्विभाजन के बाद, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व कृष्णा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित हो गया है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व नदी के दक्षिणी भाग में है और तेलंगाना राज्य में अम्राबाद बाघ रिज़र्व उत्तरी भाग में है। इस अधिसूचना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व के संबंध में है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व (एनएसटीआर), आंध्र प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी घाटों के नाल्लमारा पर्वतमाला में जैव विविधता, लुप्तप्राय वनस्पतियों और इससे संबंधित जीवजन्तु के लिए वास स्थान है। यह बाघ रिज़र्व दक्कन पठार (6डी, 6ई) की विशिष्ट भौतिक और जैविक विशेषताओं का प्रतीक है। बाघ रिज़र्व का अधिकांश भाग पठारों, पर्वत-श्रेणी, घाटियों/दर्रों और गहरी घाटियों के साथ पहाड़ी है जो बांस और घास कीकम उपज के साथ उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वनों का आश्रय प्रदान करता है। दो अभयारण्य अर्थात्, राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम् अभयारण्य बाघ रिज़र्व बनाते हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क जी.ओ. एमएस. सं. 84 ईएफएस एवं टी (फॉर-III) विभाग, तारीख 27 जून, 1998 को राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य को अंतिम अधिसूचना के लिए जारी किया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26ए जी.ओ. एमएस. सं. 81 ईएफएस एवं टी (फॉर-III) विभाग, तारीख 27 जून, 1998 को गुंडला ब्रह्मेश्वरम् अभयारण्य को अंतिम अधिसूचना के लिए जारी किया गया है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व विशिष्ट दक्कन पठार (6डी, 6ई) की वनस्पति और जीवजन्तु की प्रजातियों को दर्शाता है। अभयारण्यों में पहाड़ी क्षेत्र के साथ पठारों, पर्वत-श्रेणी, दर्रों और गहरी घाटियों की विशिष्टता है, जो बांस और घास कीकम उपज के साथ उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती वनों का आश्रय प्रदान करती है। संरक्षित क्षेत्र वृक्षों, झाड़ियों, जड़ी-बूटियों और पर्वतारोहियों से युक्त समृद्ध वनस्पति विविधता से संपन्न है। औषधीय पौधों की 353 प्रजातियों के साथ घास की 29 प्रजातियों और 149 परिवारों के लगभग 1521 एंजियोस्पर्म टक्सा को प्रलेखित किया गया है। यहां सबसे मुख्य वृक्ष *टर्मिनलिया टोमेंटोसा*, *एनोगाइसस लैटिफोलिया*, *क्लोरोक्सिलीन स्वेटेनिया*, *हार्डविकिया बिनाटा*, *पेटरोकार्पस मार्सुपियम*, *लैनिआ ग्रांडिस*, *बोसवेलिया सेराटा*, *डालबरजिया पैनिकुलाटा*, *ज़िज़िफ़स ज़ाइलोपाइरस*, *लेगरोस्ट्रोइमिया परविफ्लोरा*, *टर्मिनालिया अर्जुन,* आदि पाए जाते हैं। यहां नाल्लमालाई में सिर्फ कुछ स्थानिक पौधे जैसे *एंड्रोग्राफिस नल्लमालयाना*, *एरिओलेना लुशिंगटनी*, *क्रोटलारिया मदुरेंसिस वर्. कुरनूलिया*, *डिक्लिप्टेरा बेडडोमि* और *प्रेमा हैमिल्टनी*, आदि पाए जाते हैं;

और, राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम् वन्यजीव अभयारण्य पशुओं, पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों, सरीसृपों और उभयचरों की बृहत् विविधता को आश्रय प्रदान करता है। संरक्षित क्षेत्र में कई चरिसमेकटि पशुओं जैसे बाघ *(पेन्थेरा टिगरिस),* तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पिनस*), सियार (*केनिस ऑरिउस*), रतेल (*मेल्लिवोरा केपेंसिस*), साही (*हिस्ट्रीक्स स्पा*), विशाल गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), माउस डियर (*मोस्चिओला स्पा*), चौसिंगा मृग *(टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्निस),* सांभर (*रुसा यूनीक्लोर*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), नीलगाय *(बोसेलाफुस ट्रागोकेमेलुस)* और बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा)* का वास है। इस बाघ रिज़र्व में जीवजन्तु प्रजातियों में स्तनधारी की 50 प्रजातियाँ, पक्षियों की 200 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 54 प्रजातियाँ, उभयचरों की 18 प्रजातियाँ, मछलियों की 5 प्रजातियाँ, तितलियों की 84 प्रजातियाँ, मोथ की 57 प्रजातियाँ, कोलियप्ट्रेन भृंग की 45 प्रजातियाँ, डैमस्लेफ्लेइस् की 30 प्रजातियाँ, आदि प्रलेखित हैं। बाघ रिज़र्व में पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों, कीड़े-मकोड़ों की बृहत् विविधता की उपस्थिति इस भू-दृश्य की जैव-विविधता का प्रमाण है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व प्रायद्वीप भारत के दक्कन पठार में विभिन्न वनस्पतियों और जीवजन्तुओं के साथ जैव विविधता का भंडार है। बाघ रिज़र्व की स्थलाकृति विभिन्न छोटे-बड़े वासों के साथ विभिन्न प्रकार के जंगली पशुओं को आश्रय देने में सक्षम बनाती है;

और, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की घोषणा के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभयारण्य के अंतर्गत और आदिवासियों और अन्यों को नदी से प्राप्त होने वाली सुविधाओं और अन्य बाहरी विकास क्रियाकलापों के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के मेमो सं. 11747/एफओआर-11(2)12006, ईएफएस एवं टी (एफओआर-III) विभाग, तारीख 13 मार्च, 2012 के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों की सुरक्षा व बचाव को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में सम्बद्ध विभागों के परामर्श से संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की पहचान करने के निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर जिलों के जिला कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और अभयारण्य के बफर क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की घोषणा के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में यह चर्चा की गई थी कि बफ़र ज़ोन क्षेत्र बाघ रिज़र्व के लिए अच्छा आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है और वन्यजीवों को आश्रय प्रदान करता है जो मूल क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। बाघ रिज़र्व को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और मूल क्षेत्र पर दबाव को कम करने और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन प्रस्तावित किया गया है। जहां भी बाघ रिज़र्व की राजस्व भूमि से समीप "रिज़र्व वन" नहीं हैं, उन्हें पारिस्थितिकी संवेदी

ज़ोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसलिए, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की आवश्यकता है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के अंतर्गत चार वन संभाग अर्थात्, अतामाकुर, मरकापुर, गिद्दुरुर और नंदयाल वन्यजीव संभाग आते हैं। नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का कुछ भाग कृषि क्षेत्र है। यह कृषि भूमि सामान्य रूप से पट्टा भूमि है और वैध रूप से रहने वालों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। मुख्य कृषि फसलें मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी, मिर्च, कपास, धान आदि हैं। पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में स्थित कृषि क्षेत्र में शाकाहारी जानवर जैसे हिरण और जंगली सूअर और इनकी खोज में मांसाहारी जानवर अधिक देखे जाते हैं।इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन घोषित करने पर, वन्यजीवों और इसके वास को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। ग्रामीणों विशेषतः उन किसानों की आजीविका क्रियाकलाप, जिनकी भूमि पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के अंतर्गत आती हैं, प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि वन क्षेत्र के बाहर राजस्व भूमि में चल रही कृषि प्रथाओं और अन्य पारंपरिक आजीविका क्रियाकलापों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है;

और, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के जिला प्रकाशम, कुरनूल और गुंटूर में नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 26 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 26 किलोमीटर की दूरी तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 2149.68 वर्ग किलोमीटर है। *(कृष्णा नदी और तेलंगाना के साथ अंतरराज्यीय सीमा के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।)*

(2) नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख** और **उपाबंध-IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) पर्यटन;

(iv) आदिवासी कल्याण;

(v) कृषि;

(vi) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(vii) पंचायती राज;

(viii) राजस्व;

(ix) ग्रामीण और शहरी विकास;

(x) उद्योग;

(xi) नगरपालिका;

(xii) आंध्र प्रदेश के पारेषण निगम (एपीटीआरएएनएससीओ);

(xiii) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xiv) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करने के लिए प्रकिया प्रदान की जाएगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**वर्णन** **(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में

		उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग

		सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
21.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

IndiaCode

28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए विस्फोटकों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पदनाम**
(i)	जिला कलेक्टर, संबंधित जिला	अध्यक्ष, *पदेन;*
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण इंजीनियर, संबंधित जिला, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, *पदेन;*
(iv)	परियोजना अधिकारी, संबंधित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)	सदस्य;
(v)	अधीक्षण अभियंता, सड़क और भवन, संबंधित जिला	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता और पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	संबंधित जिले के सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान	सदस्य;
(viii)	संयुक्त निदेशक, कृषि, संबंधित जिला	सदस्य;
(ix)	जिला पर्यटन अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य;
(x)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, संबंधित जिला	सदस्य;
(xi)	जिला वन्यजीव वार्डन, संबंधित संभागीय वन अधिकारी	सदस्य–सचिव।

6. विचारार्थ-विषय.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा.सं. 25/86/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

(ए से डी):-पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानचित्र में दर्शाए गए वेलगोडे श्रेणी के वेलगोडे रिज़र्व वन में स्टेशन 'ए' (कॉम्प. 644 का दक्षिण पश्चिम कोण) से आरंभ होती है। स्टेशन ए का जीपीएस निर्देशांक 15.73300उ, 78.61000पू है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन वेलगोडे श्रेणी के वेलगोडे रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 646, 647, 648, 649 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी दिशा में जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 649 के दक्षिण पश्चिम कोण पहुँचती है। इसके बाद रेखा वेलगोडे श्रेणी के वेलगोडे रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 649, 650, 651, 653 और 652 की पश्चिमी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है यह कम्पार्टमेंट 652 के उत्तरी कोण पहुँचकर और इसके अतिरिक्त वेलगोडे श्रेणी के कम्पार्टमेंट संख्या 653, 656 और बैरलुटी श्रेणी के कम्पार्टमेंट संख्या 697, 698, 700, 701 की उत्तरी सीमा के साथ 100 मीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में दक्षिण और पूर्वी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद यह कम्पार्टमेंट संख्या 747 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा

में मुड़कर और कम्पार्टमेंट संख्या 747 के उत्तर-पश्चिम कोण में कुरनूल-गुंटूर सड़क पर बिन्दु 'बी' से मिलती है। स्टेशन 'बी' का जीपीएस निर्देशांक 15.86642 उ, 78.69979 पू है।

इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 748, 749, 750, 832, 833, 834, 835 के साथ नागालुटी श्रेणी के गुव्वालाकुन्ता 'सी' रिज़र्व वन की बाहरी रिज़र्व वन सीमा 100 मीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 835 के उत्तरी कोण से मिलती है। इसके बाद सीमा रेखा नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के अधिसूचित बफर से और कम्पार्टमेंट संख्या 816, 821, 822, 823, 824 की दक्षिणी सीमा के साथ 100 मीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और मानचित्र पर दर्शाए गए स्टेशन 'सी' से मिलती है जो कि कम्पार्टमेंट संख्या 824,गुव्वालाकुन्ता-बी रिज़र्व वन, अतमाकुर श्रेणी के दक्षिण पश्चिम कोण पर है। स्टेशन 'सी' के जीपीएस निर्देशांक 15.97570उ, 78.50460पू है।

इसके बाद सीमा रेखा अतमाकुर श्रेणी के नन्दीकोटकुर रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 824, 797, 793, 794 की पश्चिमी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में उत्तरी दिशा में जाती है और मानचित्र में दर्शाए गए बिन्दु 'डी' पहुँचती है जो कि कम्पार्टमेंट संख्या 794 के उत्तर पश्चिम कोण पर है। स्टेशन 'डी' के जीपीएस निर्देशांक 16.05913उ, 78.49756पू है।

(डी से ई):- पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा कृष्णा नदी के केन्द्र रेखा (मध्य रेखा) के साथ डी से ई तक जाती है जो कि आंध्र प्रदेश एवं तेलांगना की अन्तर्राज्यीय सीमा के बीच अर्थात् दक्षिणी भाग पर आंध्र प्रदेश, नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य के बीच सीमा और कृष्णा नदी के उत्तरी भाग पर तेलांगना राज्य के आमराबाद बाघ रिज़र्व है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा श्रीशैलम, जी.वी पल्ली और वी.पी दक्षिणी श्रेणी में आड़े-तिरछे ढंग में बिन्दु 'डी' से कृष्णा नदी के मध्य के साथ मुड़कर और नागार्जुनसागर जलाशय को छूती है और इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी के मध्य के साथ उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है यह बिन्दु 'ई' अर्थात् वी.पी दक्षिण श्रेणी के टुम्मरकोटा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 88 के उत्तरी भाग से 1 किलोमीटर पहुँचती है। स्टेशन 'ई' के जीपीएस निर्देशांक 16.61847उ, 79.46114पू है।

(ई से जी):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य सीमा से '1' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ और कम्पार्टमेंट संख्या 88की पूर्वी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में दक्षिणी दिशा की ओर बिन्दु ई तक जाती है, इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर और इसके अतिरिक्त दक्षिण और कम्पार्टमेंट संख्या 87 की पूर्वी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी में मुड़ती है और मानचित्र में दर्शाए गए स्टेशन 'एफ' से मिलती है। स्टेशन 'एफ' के जीपीएस निर्देशांक 16.52433उ, 79.44743पू है।

इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन कम्पार्टमेंट संख्या 87, 86 और 85 के दक्षिण राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य सीमा के '1' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में पश्चिमी दिशा की ओर बिन्दु एफ तक जाती है। इसरे बाद वी.पी दक्षिण श्रेणी, पसुवेमुला रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 83 के उत्तर पूर्व कोण से 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है।

इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा दक्षिण की ओर जाती है और कन्डलागुन्टा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 83, 77, 75, 70 और 69 और वी.पी दक्षिण श्रेणी के गन्गुलागुन्टा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 68 और 67 के पूर्व पर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य सीमा से '1' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में मुड़ती है यह कम्पार्टमेंट संख्या 64 की पश्चिमी सीमा को छूती है। इसके बाद यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर, कम्पार्टमेंट संख्या 64की पश्चिमी सीमा के साथ होते हुए जाती है जो कि नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व का अधिसूचित बफर है। इसके बाद यह दक्षिण में मुड़ती है और कम्पार्टमेंट संख्या 64की उत्तर पश्चिम सीमा, कम्पार्टमेंट संख्या 63 की पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के साथ विभिन्न दिशाओं में मुड़ती है और स्टेशन 'जी' से मिलती है जो कि मानचित्र में दर्शाए गए गुन्टुर और प्रकाशम जिलों की जिला सीमा पर स्थित है। स्टेशन 'जी' के जीपीएस निर्देशांक 16.23081उ, 79.33778पू है।

(जी से आई):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा प्रकाशम जिला के मरकापुर संभाग में स्टेशन 'जी' से आरंभ होती है और नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के अधिसूचित बफर और मरकापुर रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 200, 199, 185, 182 की पूर्वी सीमा, इएनबी-XI रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 174, 169, वाई.पालेम श्रेणी में इएन खण्ड X रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 168, 167, 175 के साथ आड़े-तिरछे ढंग में

दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और दक्षिण की ओर मुड़कर और कम्पार्टमेंट संख्या 175 और 166 की दक्षिणी सीमा के साथ मुड़ती है। इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण की ओर जाती है और राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से '5' किलोमीटर की चौड़ाई के साथ आड़े-तिरछे ढंग में मुड़ती है और वाई.पालेम श्रेणी में वाई. पालेम रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 160 की पश्चिमी सीमा पर बिन्दु को छूती है। इसके बाद यह कम्पार्टमेंट संख्या 160 और 161 की पश्चिमी सीमा को छूती हुई अधिसूचित बफर के साथ उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ती है और कम्पार्टमेंट संख्या 162 और 163 की सीमाओं के साथ आड़े-तिरछे ढंग में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है, पश्चिम की ओर मुड़कर और वाई.पालेम रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 164, 165 और 159 की सीमा के साथ मुड़ती है और अधिसूचित बफर के कम्पार्टमेंट संख्या 159 के दक्षिण पश्चिम कोण पर बिंदु 'एच' पहुँचती है। स्टेशन 'एच' के जीपीएस निर्देशांक 15.97874 उ, 79.26384 पू है।

बिन्दु 'एच'से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा राजस्व भूमि में राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 5 किलोमीटर में जाती है यह मानचित्र में दर्शाए गए बिन्दु "आई' में अधिसूचित बफर की सीमा पहुँचती है। बिन्दु 'आई' के जीपीएस निर्देशांक 15.88992 उ, 79.04887 पू है।

(आई से के):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा दोरनल श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 54 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्वी दिशा में बिन्दु 'आई' तक जाती है और दोरनल श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 55 और 56 की उत्तरी सीमा और मरकापुर श्रेणी के ईएनबी V रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 315,316,317 एवं 318 के साथ आड़े-तिरछे ढंग में पूर्वी दिशा में मुड़ती है और कम्पार्टमेंट संख्या 318 के उत्तर पूर्व कोण पर बिन्दु 'जे' से मिलती है। बिन्दु 'जे' के जीपीएस निर्देशांक 15.84889 उ, 79.17745पू है।

इसके बाद, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा दक्षिण की ओर जाती है और मरकापुर श्रेणी के ईएनबी V में कम्पार्टमेंट संख्या 318 की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर, पश्चिम में मुड़ती है और मरकापुर श्रेणी के ईएनबी V रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 318, 317, 316 और 315 की दक्षिणी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में मुड़ती है और इसके अतिरिक्त ईएनबी VI बी रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 314 और 57 की दक्षिणी सीमा और राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य के अधिसूचित बफर से होते हुए दोरनल श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 58 के साथ जाती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 311, 269 एवं 270 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अधिसूचित बफर की सीमा के साथ जाती है और कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 270 की पश्चिमी सीमा, मरकापुर श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 267 और 266 की दक्षिणी सीमा के साथ मुड़ती है और दोरनल श्रेणी के कुमबुम रिज़र्व वन में कम्पार्टमेंट संख्या 45, 44, 43 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और बिन्दु 'के'से मिलती है। स्टेशन 'के' केजीपीएस निर्देशांक 15.79700उ, 78.91500पू है,जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र में दर्शाया गया है कि राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित बफर की सीमा से मिलती है।

(के से एल):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा गिद्दलुर संभाग के कुमबुम रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 822 की पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 821के दक्षिणी सीमा के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'के' तक जाती है और इसके अतिरिक्त गिद्दलुर संभाग के तुरीमेल्ला श्रेणी के इएनबी-III के कम्पार्टमेंट संख्या 825, 824 की उत्तरी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 823, 814 की पूर्वी सीमा की ओर मुड़ती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा दक्षिणी दिशा में जाती है और अधिसूचित गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य से 5 किलोमीटर की दूरी के साथ कम्पार्टमेंट संख्या 807 की उत्तरी सीमा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा से मिलती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 805, 755 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्वी दिशा में प्रस्तावित बफर सीमा के साथ जाती है और ईएनबी-II रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 756, 757 की पूर्वी सीमाओं के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है। इसके बाद सीमा रेखा ईएनबी-IIरिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 757 के दक्षिणी सीमा और ईएनबी-II रिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 757 की पश्चिमी सीमा भी के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाती है और ईएनबी -II रिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 754 की दक्षिणी सीमा को छूती है और ईएनबी-II रिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 753 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद यह उत्तरी दिशा की ओर मुड़कर और ईएनबी-II रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 753, अम्बावरम रिज़र्व वन के 792, ईएनबी-II रिज़र्व वन के 791 की पश्चिमी सीमा के साथ मुड़ती है। इसके बाद रेखा पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 790 की दक्षिणी सीमा से मिलती है। इसके बाद सीमा रेखा दक्षिणी दिशा में जाकर और गुण्डला

ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी के साथ कम्पार्टमेंट संख्या 762 को छूती है। इसके बाद सीमा गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा और गिद्दलुर संभाग के अम्बावरम रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 762, 761, 763, 764, 765, 759 की पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 758 के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण-पश्चिमी दिशा में जाती है और गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य से 5 किलोमीटर की दूरी के साथ कम्पार्टमेंट संख्या 674 की पूर्वी सीमा को छूती है। इसके बाद सीमा रेखा गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा और गिद्दालुर संभाग के गिद्दालुर श्रेणी के उय्यालावाडा एक्स. रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 668, 657, 658, 659, 645, 646, 647 की पूर्वी सीमा, उय्यालावाडा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 636 और 637 के साथ दक्षिणी दिशा में आड़े-तिरछे ढंग में जाती है और बिन्दु 'एल' से मिलती है। बिन्दु 'एल' के जीपीएस निर्देशांक 15.19865 उ, 78.86796पू है।

(एल से एम):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 637, 638, 634, 633 की दक्षिणी दिशा के साथ पश्चिमी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'एल' तक जाती है और कम्पार्टमेंट संख्या 632 के दक्षिण पश्चिमी कोण बिन्दु में मिलती है और बिन्दु 'एम' से मिलती है। बिन्दु 'एम' के जीपीएस निर्देशांक 15.18359 उ, 78.74258 पू है।

(एम से एन):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा गिद्दलुर संभाग के गिद्दलुर श्रेणी के उय्यालावाडा रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 631,641, 653 और 663 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'एम' तक जाती है और बिन्दु 'एन' से मिलती है। बिन्दु 'एन' के जीपीएस निर्देशांक 15.29578 उ, 78.73825 पू है।

(एन से ओ):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा ननदयल संभाग के चलामा श्रेणी के सिरिवेल रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 481, 478, 477, 474, 470 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'एन' तक जाती है और बिन्दु 'ओ' से मिलती है। बिन्दु 'ओ' के जीपीएस निर्देशांक 15.30093 उ, 78.63349 पू है।

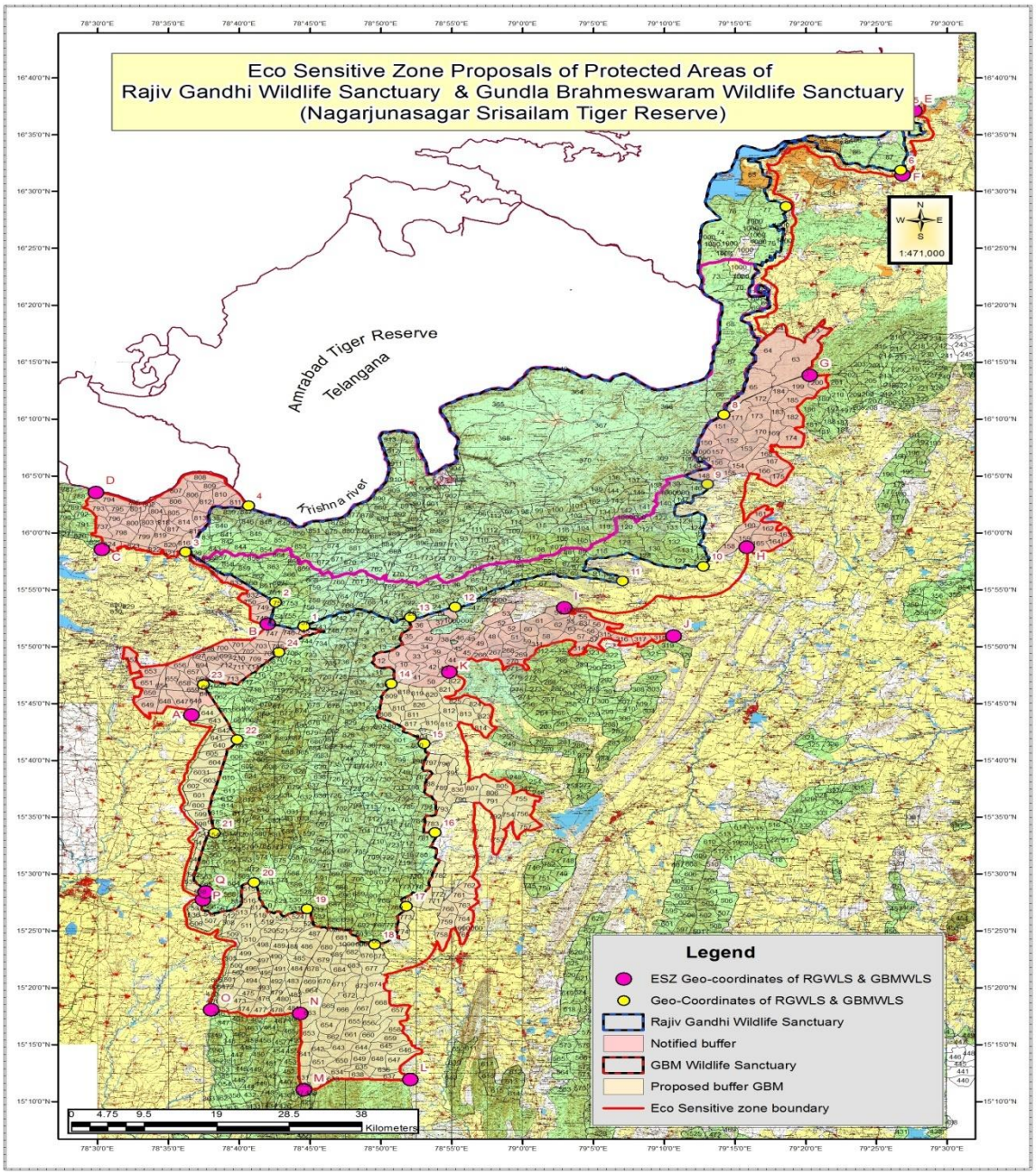
(ओ से पी):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा सिरिवेल रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 470, 471, 472 की पश्चिमी सीमा और सिरिवेल एक्स. रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 503, 504 और 505 और इसके बाद कम्पार्टमेंट संख्या 509 की दक्षिणी सीमा और ननदयल रिज़र्व वन की कम्पार्टमेंट संख्या 508 की पश्चिमी सीमा और इसके बाद ननदयल रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 507, 506 की पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 506 की दक्षिणी सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में उत्तरी दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'ओ' तक जाती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 506, 536, 537 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है और बिन्दु 'पी' से मिलती है जो कि कम्पार्टमेंट संख्या 566का उत्तर पश्चिम कोण है। बिन्दु 'पी' के जीपीएस निर्देशांक 15.46261 उ, 78.62339 पू है।

(पी से क्यू):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा ननदयल श्रेणी (महानंदी मंदिर क्षेत्र) के कम्पार्टमेंट संख्या 565 की पश्चिमी सीमा के साथ '5' मीटर की चौड़ाई के साथ छोटी दूरी में उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम दिशा के बिन्दु 'पी' तक जाती है और बिन्दु 'क्यू' से मिलती है। बिन्दु 'क्यू' के जीपीएस निर्देशांक 15.47375 उ, 78.62659 पू है।

(क्यू से ए):- इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा ननदयल श्रेणी के ननदयल एक्स.–II रिज़र्व वन के कम्पार्टमेंट संख्या 538 और 539 की दक्षिणी सीमा के साथ 500 मीटर की चौड़ाई के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ बिन्दु 'क्यू' तक जाती है। इसके बाद सीमा रेखा ननदयल श्रेणी के कम्पार्टमेंट संख्या 539 और 540 की पश्चिमी सीमा और ननदयल संभाग (जो कि ननदयल और आत्मकुर संभागों के जंक्शन बिन्दु भी है) के बंदी आत्मकुप श्रेणी के कम्पार्टमेंट संख्या 541, 542, 598, 599, 600, 601, 602, 603ए, 604 और 605 के साथ 500 मीटर की चौड़ाई के साथ गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ आड़े-तिरछे ढंग में जाती है। इसके बाद सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 640, 641, 642 की पश्चिमी सीमा के साथ 500 मीटर की चौड़ाई के साथ गुण्डला ब्राहमेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य की प्रस्तावित बफर सीमा के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है और पश्चिमी दिशा में मुड़कर और कम्पार्टमेंट संख्या 643 की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और बिन्दु 'ए' से मिलती है जो कि मानचित्र में आरंभिक बिन्दु दर्शाया गया है।

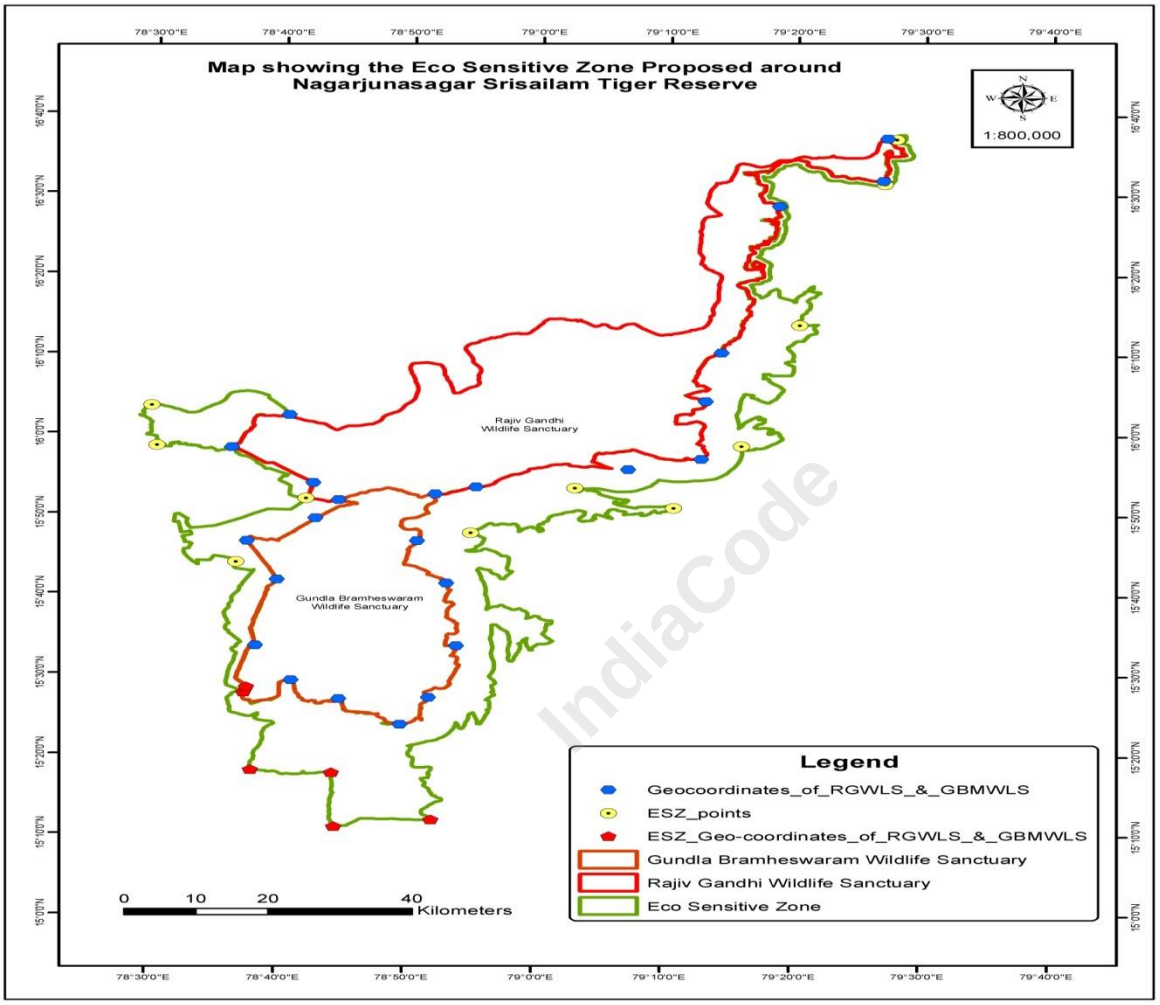
उपाबंध- IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



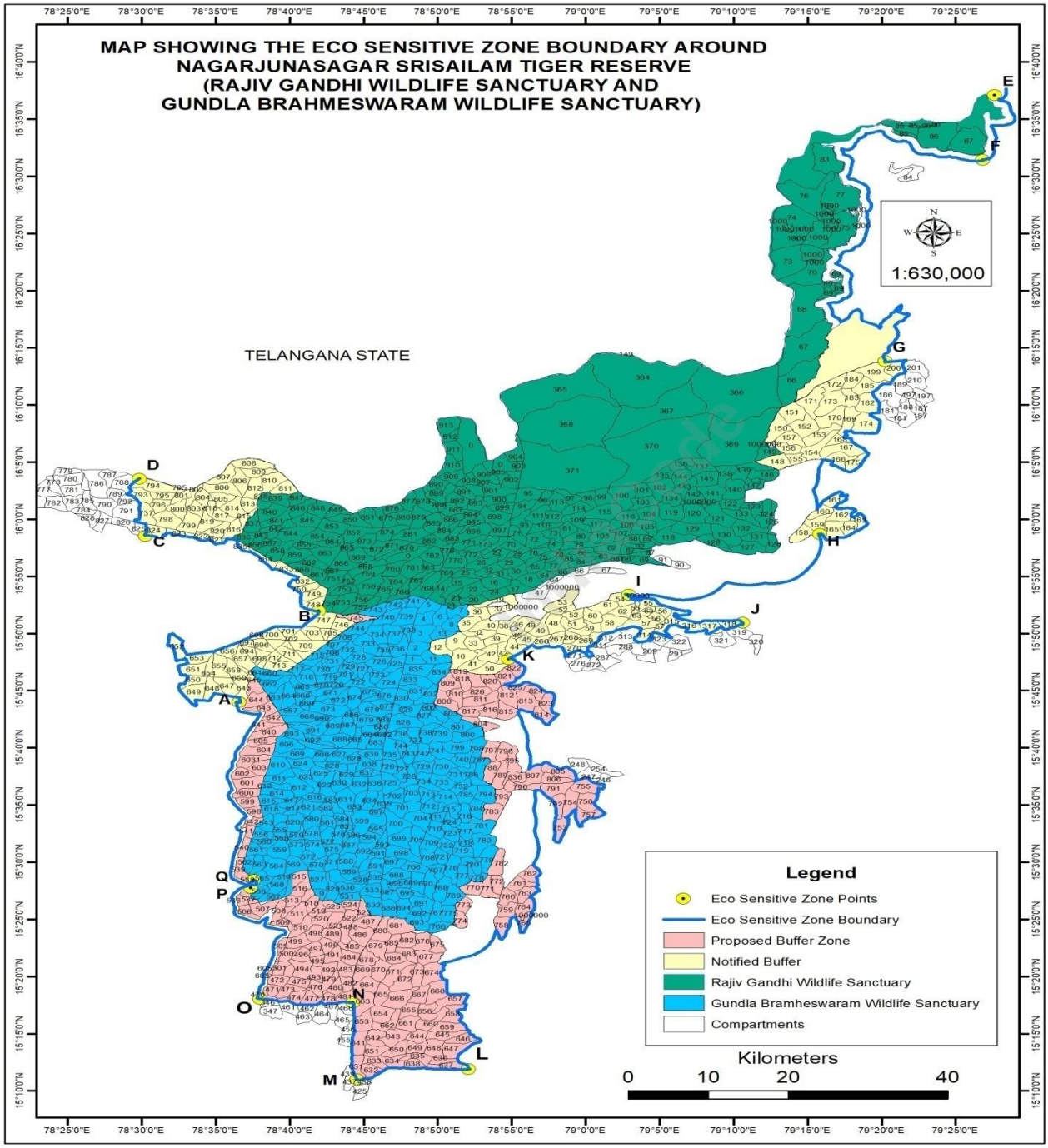
उपाबंध- IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIग

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व (राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम् वन्यजीव अभयारण्य) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

स्टेशन	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	अभयारण्य
1	15.86300	78.74243	राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य
2	15.89830	78.70910	
3	15.97184	78.60298	
4	16.03997	78.67716	
5	16.62012	79.45007	
6	16.53153	79.44496	
7	16.47800	79.31000	
8	16.17320	79.23708	
9	16.07136	79.21732	
10	15.95114	79.21243	
11	15.92929	79.11756	
12	15.89127	78.92074	
13	15.87622	78.86808	
13	15.87622	78.86808	गुंडला ब्रह्मेश्वरम् वन्यजीव अभयारण्य
14	15.77900	78.84500	
15	15.69100	78.88400	
16	15.56100	78.89700	
17	15.45300	78.86300	
18	15.39700	78.82600	
19	15.44900	78.74600	
20	15.48800	78.68400	
21	15.56000	78.63700	
22	15.69700	78.66400	
23	15.77800	78.62400	
24	15.82500	78.71300	
1	15.86300	78.74243	

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

स्टेशन	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	अभयारण्य
ए	15.73300	78.61000	राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य
बी	15.86642	78.69979	
सी	15.97570	78.50460	

indiacode

डी	16.05913	78.49756	
ई	16.61847	79.46114	
एफ	16.52433	79.44743	
जी	16.23081	79.33778	
एच	15.97874	79.26384	
आई	15.88992	79.04887	
जे	15.84889	79.17745	
के	15.79700	78.91500	
के	15.79700	78.91500	गुंडला ब्रह्मेश्वरम् वन्यजीव अभयारण्य
एल	15.19865	78.86796	
एम	15.18359	78.74258	
एन	15.29578	78.73825	
ओ	15.30093	78.63349	
पी	15.46261	78.62339	
क्यू	15.47375	78.62659	
ए	15.73300	78.61000	

Indiacode

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	विभाग का नाम	मण्डल का नाम	ग्राम के नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	कुरनूल	अटमाकुर	कोथापल्ली	1. पालेम चेरुवु	15.96580	78.59880
			अटमाकुर	2. कोट्टला चेरुवु	15.95360	78.61310
			अटमाकुर	3. इन्द्रेश्वरम गुडेम	15.92350	78.64290
			अटमाकुर	4. एस. एन.थांडा	15.86780	78.68700
			पमुलापाडु	5. कोथा बनाकाचेरला	15.80170	78.53570
			पमुलापाडु	6. नटला कोथुरु	15.78610	78.54340
			वेलगोडु	7. सुगली थांडा	15.70850	78.63570
2	प्रकाशम	मरकापुर	वाई. पालेम	1. गुर्रापुसाला	15.95561	79.23162
			वाई. पालेम	2. कोलुकुला	16.00963	79.22551
			वाई. पालेम	3. चिन्ना कोलुकुला	15.99697	79.22386
			वाई. पालेम	4. चेन्नारायुनिपल्ली	15.99064	79.21903

			वाई. पालेम	5. वी. बी. पुरम	16.05672	79.25007
			वाई. पालेम	6. एल्लारेड्डीपल्ली	16.06130	79.25724
			वाई. पालेम	7. जी. वी. पल्ली	16.03864	79.20682
			डोरनाला	8. नल्लागुण्टला	15.86360	78.91930
			डोरनाला	9. पी. मंथानाला	15.88140	78.89320
			डोरनाला	10. वाई. चेरलोपल्ली	15.89390	78.96730
			डोरनाला	11. चिलकाचेरला	15.89190	79.00440
			डोरनाला	12. गन्टावनीपल्ली	15.91410	79.03760
			डोरनाला	13. यादवाल्ली	15.90720	79.06930
			डोरनाला	14. पेड्डा डोरनाला	15.90640	79.09510
			डोरनाला	15. बोम्मलापुरम	15.94410	79.12840
			पेड्डा अरावेदु	16. टम्बादापल्ली	15.92900	79.18600
			पेड्डा अरावेदु	17. सनीकावरम	15.90570	79.18290
			पेड्डा अरावेदु	18. रगुमानुपल्ली	15.92630	79.24340
			पेड्डा अरावेदु	19. मसीराजुकुन्ता	15.91160	79.22770
			पेड्डा अरावेदु	20. गनगुपल्ली	15.93250	79.23020
			डोरनाला	21. पेड्डामानथानाला	15.88140	78.89320
3	गुंटुर	मरकापुर	वेलडुरथी	1. डवुपल्ली थांडा	16.23683	79.29350
			वेलडुरथी	2. बोटुकुलापाया	16.24025	79.26847
			वेलडुरथी	3. रामालायम केन्द्र	16.29508	79.31067
			वेलडुरथी	4. वज़रालापाडु थांडा	16.28697	79.28517
			वेलडुरथी	5. पपिरेड्डीकुन्ता थांडा	16.29764	79.29753
			वेलडुरथी	6. हनुमापुरम थांडा	16.29669	79.29053
			वेलडुरथी	7. रामाचंद्रापुरम	16.28436	79.29903
			वेलडुरथी	8. गंगलाकुन्ता	16.29894	79.28889
			वेलडुरथी	9. कंडलाकुन्ता	16.38610	79.29483
			वेलडुरथी	10. गुडीपती चेरुवु	16.40406	79.29933
			वेलडुरथी	11. रामाचंद्रापुरम थांडा	16.31689	79.26742
			वेलडुरथी	12. मोरसापेन्टा ग्राम केन्द्र	16.35408	79.28103
			वेलडुरथी	13. ज़ेन्दापेंटा ग्राम केन्द्र	16.37075	79.25133

IndiaCode

			वेलडुरथी	14. के. पी गुडेम बसस्टेण्ड केन्द्र	16.39780	79.25750
		मरकापुर	मचेरला	15. भीरावुनीपाडु ग्राम	16.50235	79.39176
			मचेरला	16. टल्लापल्ली ग्राम	16.51210	79.39063
			मचेरला	17. 7मैलु(वीरांजनेयापुरम)	16.53572	79.38235
			मचेरला	18. पसुवेमुला ग्राम	16.52077	79.36211
			मचेरला	19. नारायन रेड्डीपुरम	16.56817	79.41795
			मचेरला	20. इकोनामपेट	16.57421	79.38905
			मचेरला	21. अनुपु गेट	16.50360	79.28208
			मचेरला	22. चेन्चु कॉलोनी	16.50514	79.29403
			मचेरला	23. अनुपुचेन्चु कॉलोनी	16.50371	79.28757
			मचेरला	24. अनुपु	16.50384	79.28647
			मचेरला	25. चिन्ताला थांडा	16.52415	79.28915
			रेन्टाचीन्टाला	26. तुमुरुकोटा	16.55717	79.46027
			रेन्टाचीन्टाला	27. कोट्टागंगारजुपल्ली	16.57749	79.45113
			रेन्टाचीन्टाला	28. माल्लावरम	16.60145	79.47495
			रेन्टाचीन्टाला	29. पलवाई	16.50010	79.49014
			रेन्टाचीन्टाला	30. मटुकुमाल्ली	16.52026	79.47372
			रेन्टाचीन्टाला	31. गन्नावरम	16.52259	79.47292
4	प्रकाशम	गिद्दालुर	गिद्दालुर	1. दिगुवामेट्टा	15.39629	78.82556
			गिद्दालुर	2. के.एस.पल्ली	15.37069	78.88324
			गिद्दालुर	3. बयानापल्ली	15.36681	78.85905
			गिद्दालुर	4. कन्चीपल्ली	15.36178	78.88292
			गिद्दालुर	5. येल्लुपल्ली	15.42319	78.89159
			गिद्दालुर	6. जयारामपुरम	15.42222	78.88580
			गिद्दालुर	7. लक्ष्मीपुरम थांडा	15.44582	78.87895
			गिद्दालुर	8. जयारामपुरम थांडा	15.43286	78.87523
			रचेला	9. जे. पी. चेरुवु	15.50104	78.92523
			रचेला	10. चिनागनीपल्ली	15.52392	78.93881
			रचेला	11. अरावीती कोटा	15.57821	78.92735

IndiaCode

			रचेला	12. कोथुर	15.58221	78.93594
			अरधावीदु	13. अंकाभुपालेम	15.67102	78.93642
			अरधावीदु	14. नारायमपल्ली	15.66710	78.95373
			अरधावीदु	15. पापीनेनीपल्ली	15.67786	78.93768
5	कुरनूल	नन्दयाल	बंदी अटमाकुर	1. नारायनपुरम	15.648565	78.590077
			बंदी अटमाकुर	2. जी. सी. पालेम	15.615124	78.585356
			बंदी अटमाकुर	3. मन्दीकोट्टागुदेम	15.618094	78.606628
			बंदी अटमाकुर	4. सोमायाजुलापल्ली	15.569371	78.583780
			बंदी अटमाकुर	5. कदमालाकालवा	15.529708	78.584928
			महानन्दी	6. वेंगालारेड्डीपेटा	15.525560	78.576271
			महानन्दी	7. पुट्टुपल्ली	15.494284	78.575123
			महानन्दी	8. महानन्दी	15.469411	78.628663
			महानन्दी	9. श्रीनगरम	15.464247	78.599297
			महानन्दी	10. गजुलापल्ली	15.403805	78.619835
			महानन्दी	11. बसवापुरम	15.409053	78.631675
			सिरीवेल्ला	12. महादेवापुरम	15.389790	78.629755

IndiaCode

उपाबंध- V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अधीन पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2021

S.O. 4373(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.653 (E), dated the 11th February, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th February, 2020;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve (NSTR) is located in the Nallamara hill ranges (offshoot of Eastern Ghats) of Andhra Pradesh. The total area of the Tiger Reserve with core and buffer is 3727.82 square kilometres spread over Prakasam, Kurnool and Guntur Districts of Andhra Pradesh. The Tiger Reserve is constituted by two Wildlife Sanctuaries namely, Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary (GBM). After State bifurcation, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve has also been divided into two halves separated by river Krishna. The southern side of river is Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve in Andhra Pradesh and the northern side is Amrabad Tiger Reserve in Telangana State. The Eco-sensitive Zone in this notification is in respect of the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve of Andhra Pradesh;

AND WHEREAS, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve, in the Nallamara ranges of southern Eastern Ghats in Andhra Pradesh is an abode for biodiversity, endangered flora and its associated fauna. This Tiger Reserve epitomises typical physical and biological features of Deccan plateau (6D, 6E). Most of the Tiger Reserve is hilly with plateaus, ridges, gorges and deep valleys which support tropical mixed dry deciduous forests with an under growth of bamboo and grass. Two Sanctuaries *viz,* Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and Gundla Brahmeswaram Sanctuary form the Tiger Reserve. The final notification has been issued for Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary under section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* G.O. Ms. No. 84 EFS&T (For-III) dept., dated the 27th June, 1998. The final notification for Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary was issued under section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* G.O.Ms. No.81, EFS&T (For-III), dated the 27th June, 1998;

AND WHEREAS, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve epitomises a typical Deccan Plateau (6D, 6E) species of flora and fauna. The Sanctuaries are characterised by hilly terrain with plateaus, ridges, gorges and deep valleys which support tropical mixed dry deciduous and moist deciduous forests with an under growth of bamboo and grass. The protected area is endowed with a rich floral diversity comprising of trees, shrubs, herbs and climbers. Around 1521 angiosperm taxa of 149 families and 29 species of grass along with 353 species of medicinal plants have been documented. The most predominant trees found here are *Terminalia tomentosa, Anogeissus latifolia, Chloroxylon swietenia, Hardwickia binata, Pterocarpus marsupium, Lannea grandis, Boswellia serrata, Dalbergia paniculata, Zizyphus xylopyrus, Lagerstroemia parviflora, Terminalia arjuna,* etc. There are certain endemic plants found only in Nallamalais like *Andrographis nallamalayana, Eriolaena lushingtonii, Crotalaria madurensis* var. kurnoolia*, Dicliptera beddomei* and *Premna hamiltonii,* etc;

AND WHEREAS, Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary support a wide variety of animals, birds, insects, reptiles and amphibians. The protected areas are the home to many charismatic animals like tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), wild dog (*Cuon alpinus*), jackal (*Canis aureus*), ratel (*Mellivora capensis*), porcupine (*Hystrix* sp.), giant squirrel (*Ratufa indica*), mouse deer (*Moschiola* sp.), four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), sambar (*Rusa unicolor*), spotted deer (*Axis axis*), nilgai (*Boselaphus tragocamelus*) and wild boar (*Sus scrofa*). The faunal species documented in this Tiger Reserve are 50 species of mammal, 200 species of birds, 54 species of reptiles, 18 species of amphibians, 5 species of fishes, 84 species of butterflies, 57 species of moths, 45 species of coleopteran beetles, 30 species of damselflies, etc. The presence of wide variety of animals, birds, reptiles, amphibians, insects in the Tiger Reserve is a testimony to the bio-diversity of this landscape;

AND WHEREAS, Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve is a repository of biodiversity with varied flora and fauna in Deccan plateau of peninsular India. The topography of the Tiger Reserve enables the occurrence of varied micro and macro habitats to shelter variety of wild animals;

AND WHEREAS, the National Board for Wildlife has taken decision for declaration of Eco-sensitive Zones around National Parks and Wildlife Sanctuaries. The Government of Andhra Pradesh have issued instructions to identify Eco-sensitive Zones around the protected areas in consultation with the line Departments under the Chairmanship of concerned District Collectors keeping in view the safety, security of wildlife in its natural environment within the Sanctuary and the river hood opportunities of the tribals and others, and other development

activities outside *vide* Government of Andhra Pradesh Memo No. 11747/For- 11(2)12006, EFS&T (For-III) Dept, dated the 13th March, 2012. Accordingly meetings were convened by the District Collectors and District Magistrates of Kurnool, Prakasam and Guntur Districts for declaration of Eco-sensitive Zone all round the Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary and buffer area of the Sanctuary. It was discussed in the meetings that the Buffer Zone area acts as a good shock absorber for the Tiger Reserve and support wildlife that disperse out from the core area. In order to provide better protection to the Tiger Reserve and to minimise the pressure on the core area and to provide additional protection, Eco-sensitive Zone has been proposed all around the Tiger Reserve; wherever there are no "Reserve Forests" adjoining the Tiger Reserve, revenue lands have been proposed as Eco-sensitive Zone. Hence, there is a need of Eco-sensitive Zone around the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve;

AND WHEREAS, the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve is falling in four forest divisions *viz,* Atmakur, Markapur, Giddarur and Nandyal wildlife divisions. Some parts of the Eco-sensitive Zone of the Tiger Reserve are agricultural fields. These agricultural lands are patta lands in general and are legally enjoyed by the occupants. The main agricultural crops are maize, groundnut, sunflower, chillies, cotton, paddy, etc. The agricultural fields located in the Eco-sensitive Zone are frequented by the herbivores like deer and wild boar and carnivores follow in search of these animals. On declaration of this area as Eco-sensitive Zone, there will be additional protection to the Wildlife and its habitat. Livelihood activities of the villagers especially farmers, whose lands are falling in the Eco-sensitive Zone will not be affected as there are no restrictions for the ongoing agricultural practices and other traditional livelihood activities in the revenue lands outside the forest area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 26 kilometres around the boundary of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve, in Prakasam, Kurnool and Guntur Districts in the State of Andhra Pradesh as the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 26 kilometres around the boundary of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is 2149.68 square kilometres. *(Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to Krishna River and interstate boundary with Telangana).*

 (2) The boundary description of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The maps of the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

 (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

 (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the State.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

 (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 (i) Environment;
 (ii) Forest and Wildlife;

(iii) Tourism;
(iv) Tribal Welfare;
(v) Agriculture;
(vi) Irrigation and Flood Control;
(vii) Panchayati Raj;
(viii) Revenue;
(ix) Rural and Urban Development;
(x) Industries;
(xi) Municipal;
(xii) Transmission Corporation Of Andhra Pradesh (APTRANSCO);
(xiii) Andhra Pradesh State Pollution Control Board; and
(xiv) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the

Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– Bio-medical waste management shall be as under:-

(a) the Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the

Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the

Irrecoverable

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms,	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	corporate and companies.	
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of explosives for development activities.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. **Monitoring Committee for monitoring Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, concerned district	Chairman, *ex officio;*
(ii)	A representative of non-Governmental organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	Environmental Engineer, concerned district, Andhra Pradesh State Pollution Control Board	Member, *ex officio;*
(iv)	Project Officer, concerned Integrated Tribal Development Agency (ITDA)	Member;

(v)	Superintending Engineer, Road and Building, concerned district	Member;
(vi)	An expert in Biodiversity and Ecology nominated by the State Government	Member;
(vii)	Assistant Director, Mines and Geology of concerned district	Member;
(viii)	Joint Director, Agriculture, concerned district	Member;
(ix)	District Tourism Officer, concerned district	Member;
(x)	General Manager, District Industries Centre, concerned district.	Member;
(xi)	District Wildlife Warden, Concerned Divisional Forest Officer	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/86/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE IN THE STATE OF ANDHRA PRADESH

(A to D):- The Eco-sensitive Zone starts from station 'A' (south west corner of comp. 644) in Velgode RF of Velgode Range as shown in the map. The GPS co-ordinates of station A is 15.73300N, 78.61000E and the Eco-sensitive Zone runs in western direction along the southern boundary of Compartment Nos. 646, 647, 648,

649 in Velgode RF of Velgode range and reaches south west corner of compartment No 649. Then the line runs towards north west direction in zigzag manner along the western boundary of compartment Nos. 649, 650, 651, 653 and 652 in Velgode RF of Velgode Range till it reaches the northern corner of compartment 652 and further proceeds towards south and eastern directions in a zigzag manner with a width of 100 Mts. along the northern boundary of compartment Nos. 653, 656 of Velgode Range and Compt. Nos. 697, 698, 700, 701 of Bairluty Range. Thence it moves in north east direction along the western boundary of compartment No.747 and meets point 'B' on Kurnool-Guntur road at the north–west corner of compartment No.747. GPS co-ordinates of Station 'B' is 15.86642 N, 78.69979E.

Thence, the boundary line runs towards north – west direction in a Zigzag manner with a width of 100 Mts outside R.F boundary of Guvvalakunta 'C' R.F of Nagaluty Range along the western boundary of compartment Nos.748, 749, 750, 832, 833, 834, 835 and meets the Northern corner of Compartment No. 835. Thence the boundary line runs towards Western direction in Zig – Zag manner with a width of 100 meters from the notified buffer of NSTR and along the Southern boundary of Compartment Nos. 816, 821, 822, 823, 824 and meets Station 'C' as shown on map which is on the south west corner of Compartment No.824, Guvvalakuntla-B RF, Atmakur Range. The GPS co-ordinates of Station 'C' is 15.97570N, 78.50460E.

Thence the boundary runs in northern direction in zigzag manner along the western boundary of compartment Nos.824, 797, 793, 794 in Nandikotkur RF of Atmakur Range and reaches point 'D' as shown in the map which is on the northwest corner of compartment No.794. The GPS reading of station 'D' is 16.05913N, 78.49756E.

(D to E):-The Eco-sensitive Zone boundary from D to E runs along the central line (Mid line) of river Krishna which is inter State boundary between Andhra Pradesh and Telangana i.e., the boundary between Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary of Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve, Andhra Pradesh on the southern side and Amrabad Tiger Reserve of Telangana State on the northern side of river Krishna.

The Eco-sensitive Zone boundary moves along mid of River Krishna from point 'D' in zig-zag manner in Srisailam, G.V Palli and V.P South Ranges and touches the Nagarjunasagar reservoir and further proceeds in north eastern direction along the mid of river Krishna till it reaches point 'E' i.e., one Km from the northern part of compartment No.88 of Tummarkota RF of V.P South Range. The GPS coordinates of station 'E' is 16.61847N, 79.46114E.

(E to G):Thence the Eco-sensitive Zone boundary line runs from point E towards southern direction in zigzag manner with a width of '1'Km from Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary and along the eastern boundary of compartment No.88, then turns towards west and further south and moves at a distance of 1 km from the eastern boundary of Compartment No.87 and meets station 'F' as shown in the map. The GPS coordinates of station 'F' is 16.52433N, 79.44743E.

Thence the Eco sensitive Zone runs from point F towards Western direction in a zigzag manner with a width of '1' Km from Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary south of compartment Nos.87, 86 and 85. Then, turns towards south west 1km from the north east corner of compartment No.83 of Pasuvemula RF, V.P South Range.

Thence the eco-sensitive zone boundary line runs towards south and moves in a zig–zag manner with a width of '1' Km from Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary on the east of compartment Nos.83, 77, 75, 70 and 69 of Kandlagunta RF and compartment Nos.68 and 67 of Gangulagunta RF of V.P South Range till it touches the western boundary of compartment No.64. Then it turns towards north east, passes along the western boundary of compartment No.64 which is notified buffer of NSTR. Thence it turns south and moves in various directions along the north west boundary of compartment No.64, western, northern and eastern boundaries of compartment No.63 and meets station 'G' which is located on District boundary of Guntur and Prakasam Districts as depicted in the map. The GPS coordinates of station 'G' is 16.23081N, 79.33778E.

(G to I): Thence the Eco-sensitive Zone boundary line starts from station 'G' in Markapur Division of Prakasam District and runs towards Southern direction in zig–zag manner along the notified buffer of NSTR and the eastern boundary of compartment Nos.200, 199, 185, 182 of Markapur RF compartment Nos. 174, 169 of ENB-XI RF, compartment 168, 167, 175 of EN Block X RF in Y.Palem Range and turns towards south and moves along the southern boundary of compartment Nos.175 and 166. Thence the boundary line runs towards south and moves in a zigzag manner with a width of '5' Kms from Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary and touches the point on the western boundary of compartment No.160 of Y. Palem RF in Y. Palem Range. Thence it moves in north east direction along the notified buffer touching the western boundary of compartment Nos.160 and 161 and moves towards south east direction in zigzag manner along the boundaries of compartment Nos.162 and 163, turns towards west and moves along boundary of compartment Nos.164, 165 and 159 of Y. Palem RF and reaches point 'H' on the south west corner of compartment No.159 of notified buffer. The GPS coordinates of 'H' is 15.97874 N, 79.26384E.

From point 'H', the eco- sensitive zone boundary runs 5 kilometres from the Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary boundary in the revenue lands till it reaches the boundary of notified buffer at point "I' as indicated in the map. GPS coordinates of point 'I' is 15.88992 N, 79.04887E

(I to K): Then, the Eco-sensitive Zone boundary line runs from point 'I' in eastern direction along the northern boundary of compartment No.54 in Cumbum R.F. of Dornal Range and moves further towards eastern direction in zig–zag manner along the northern boundary of compartment No. 55 and 56 in Cumbum RF of Dornal Range and Compartment Nos.315,316,317 & 318 in ENB V RF of Markapur Range and meets the point 'J' on the north east corner of compt no 318. The GPS coordinates of point 'J' is 15.84889 N, 79.17745E.

Thence, the Eco-sensitive Zone boundary runs towards south and moves along the eastern boundary of Compartment No 318 in ENB V of Markapur Range, turns west and moves in a zig-zag manner along the southern boundary of Compartment Nos 318, 317, 316 and 315 of ENB V RF of Markapur Range and further runs along the southern boundary of compartment Nos.314 and 57 in ENB VI B RF and comp No. 58 in Cumbum RF of Dornal range passing along the notified buffer of Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary. Further, the Eco-sensitive Zone runs along the boundary of notified buffer towards South – West direction along the Eastern boundary of compartment No. 311, 269 & 270 in Cumbum R.F. and moves along the western boundary of compartment No.270 in Cumbum RF, southern boundary of compartment Nos. 267 and 266 in Cumbum R.F. of Markapur Range and runs towards south–west direction along the eastern boundary of compartment Nos.45, 44, 43 in Cumbum R.F of Dornal Range and meets point 'K'. The GPS coordinates of station 'K' is 15.79700N, 78.91500E, where the Eco-sensitive Zone of Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary meets the boundary of proposed buffer of Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary as depicted in the map.

(K to L): Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs from point 'K' along the proposed buffer boundary of GBM in south-eastern direction along the eastern boundary of compartment No.822 and southern boundary of Compt. No.821 of Cumbum R.F. of Giddalur Division and moves further towards northern boundary of Compt. No.825, 824 and eastern boundary of Compt. No.823, 814 of ENB-III of Turimella Range of Giddalur Division. Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs in southern direction and meets the proposed buffer boundary of GBM at Northern boundary of Compt. No.807 with a distance of 5 Kms from notified GBM Sanctuary boundary. Then the boundary line runs along the proposed buffer boundary in eastern direction along the Northern boundary of Compt. No.805, 755 and runs in southern direction along the eastern boundaries of Compt. No.756, 757 of ENB-II RF. Then the boundary line runs in South west direction along the southern boundary of Compt. No.757 of ENB-II RF and also western boundary of Compt. No.757 of ENB-II RF and touches the southern boundary of Compt.No.754 of ENB-II RF and runs towards southern direction along eastern boundary of Compt. No.753 of ENB-II RF. Thence it turns towards northerly direction and moves along the Western boundary of compt. No.753 of ENB-II RF, 792 of Ambavaram RF, 791 of ENB-II RF. Thence the line runs towards western direction and meets the southern boundary of Compt. No.790. Then the boundary line runs in southern direction and touches the Compt. No.762 with a distance of 5 Kms from the GBM Sanctuary boundary. Then the boundary line runs towards southern direction along the proposed buffer boundary of GBM and also eastern boundary of Compt. No.762, 761,763,764, 765 , 759 and up to Compt. No.758 of Ambavaram RF of Giddalur Division. Then the boundary line runs in south westerly direction and touches the eastern boundary of Compt. No.674 with a distance of 5 Kms from the GBM Sanctuary. Then the boundary line runs in zig-zag manner in southern direction along the proposed buffer boundary of GBM and also along the eastern boundary of Compt. No.668, 657, 658, 659, 645, 646, 647 of Uyyalawada Extn. RF, Compt. No. 636 and 637 of Uyyalawada RF of Giddalur Range of Giddalur Division and meets the point 'L'. The GPS coordinates of point 'L' is 15.19865 N, 78.86796E.

(L to M) : Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs from point 'L' along the proposed buffer boundary of GBM in western direction along the southern boundary of Compt. No.637,638, 634, 633 and meets at south west corner point of Compt. No.632 and meets the point 'M'. The GPS coordinates of point 'M' is 15.18359 N, 78.74258 E.

(M to N) : Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs from point 'M' along the proposed buffer boundary of GBM in northern direction along the western boundary of Compt. No.631,641, 653 and 663 of Uyyalawada RF of Giddalur Range of Giddalur Division and meets the point 'N'. The GPS coordinates of point 'N' is 15.29578 N, 78.73825 E.

(N to O) : Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs from point 'N' along the proposed buffer boundary of GBM in western direction along the southern boundary of Compt. No.481, 478, 477, 474, 470 of Sirivel RF of Chalama Range of Nandyal Division and meets the point 'O'. The GPS coordinates of point 'O' is 15.30093 N, 78.63349 E.

(O to P) : Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs from point 'O' along the proposed buffer boundary of GBM in northern direction in zig-zag manner along the western boundary of Compt. No.470, 471, 472 of

Sirivel RF and compt. No.503, 504 and 505 of Sirivel Extn. RF and then southern boundary of Compt. No.509 and then western boundary of compt. No.508 of Nandyal RF and then eastern boundary of Compt. No.507, 506 of Nandyal RF and then southern boundary of Compt. No.506. Then the boundary line runs towards northerly direction along the western boundary of Compt. No.506, 536, 537 and meets the point 'P' which is north west corner of Compt. No.566. The GPS coordinates of point 'P' is 15.46261 N, 78.62339 E.

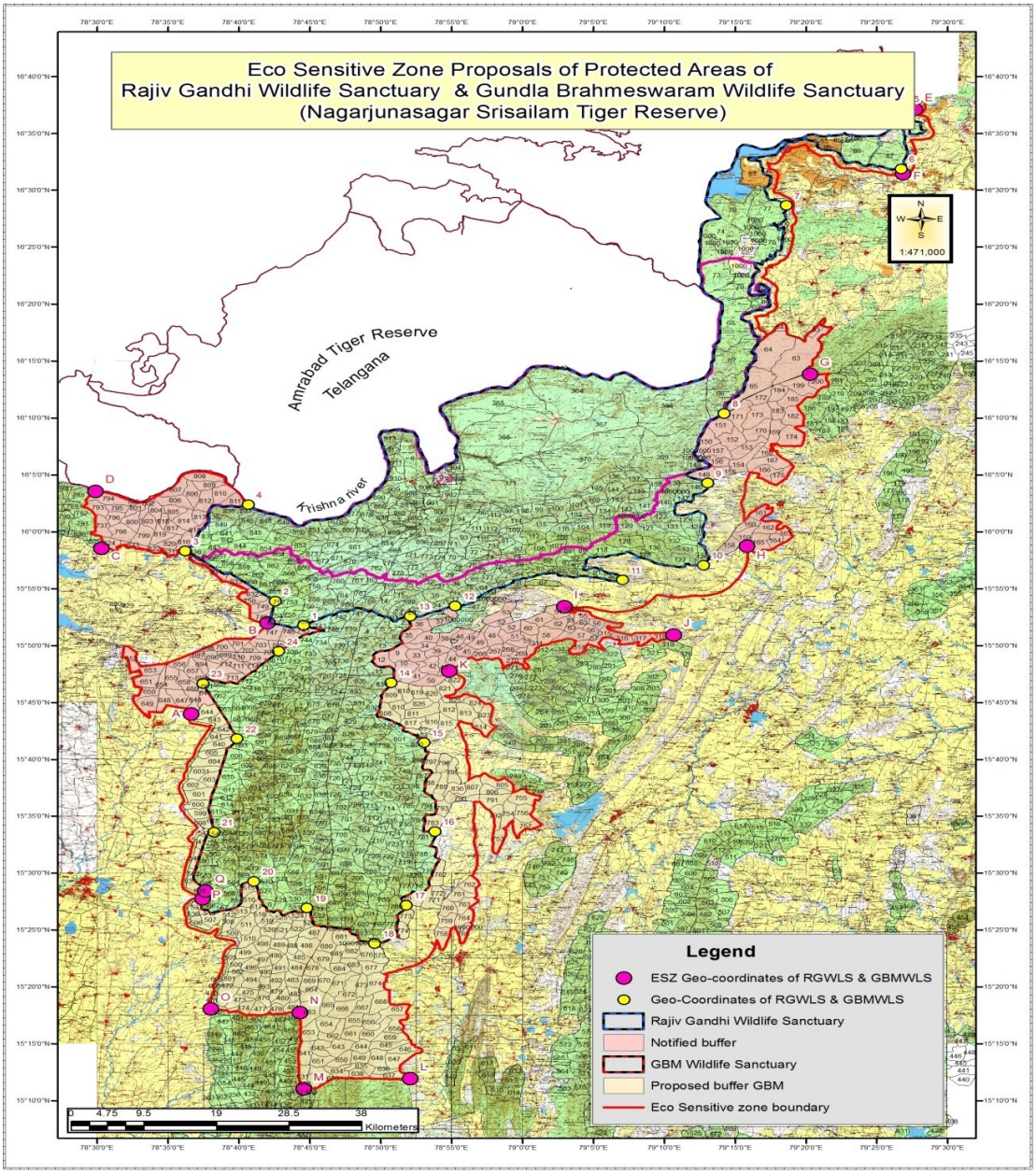
(P to Q): Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs from point 'P' north-western and south west direction in a small distance with a width of '5' mts along the western boundary of Compt. No.565 of Nandyal Range (Mahanandi Temple area) and meets the point 'Q'. The GPS coordinates of point 'Q' is 15.47375 N, 78.62659 E.

(Q to A) : Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs from point 'Q' along the proposed buffer boundary of GBM in north west direction with a width of 500 Mts along the southern boundary of Compt. No.538 and 539 of Nandyal Extn. – II RF of Nandyal Range. Then the boundary line runs in zig-zag manner along the proposed buffer boundary of GBM with a width of 500 mts along the western boundary of Compt. No. 539 and 540 of Nandyal Range and 541, 542, 598, 599, 600, 601, 602, 603A, 604 and 605 of Bandi Atmakur Range of Nandyal Division (which is also junction point of Nandyal and Atmakur Divisions). Then the boundary line runs towards northern direction along the proposed buffer boundary of GBM to a width of 500 meters along the western boundary of Compt. No.640, 641, 642 and turns in western direction and runs along the southern boundary of Compt. No.643 and meets the point 'A' which is starting point as shown in the map.

IndiaCode

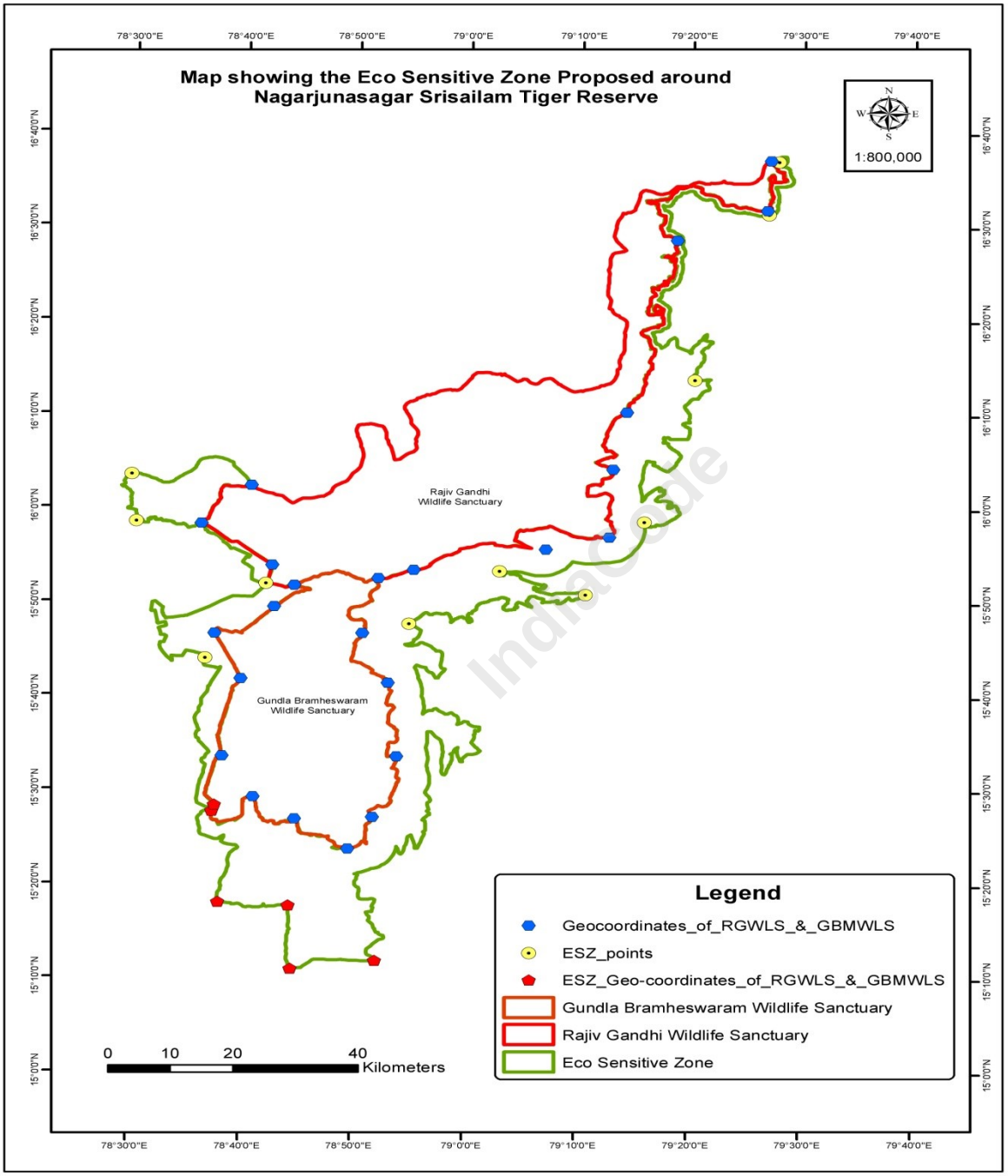
ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



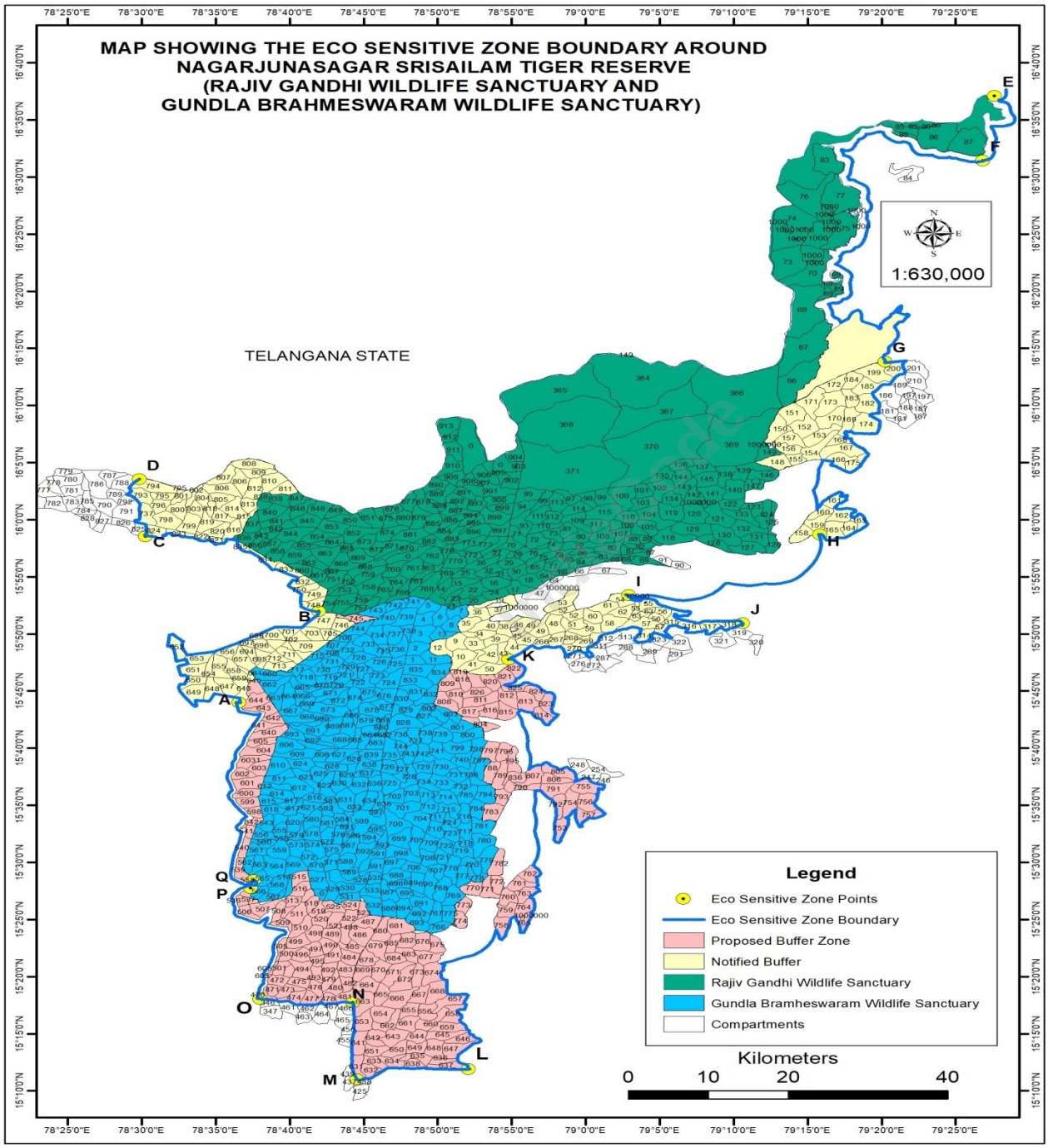
ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE (RAJIV GANDHI WILDLIFE SANCTUARY AND GUNDLA BRAHMESWARAM WILDLIFE SANCTUARY) ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE

Station	Latitude (N)	Longitude (E)	Sanctuary
1	15.86300	78.74243	Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary
2	15.89830	78.70910	
3	15.97184	78.60298	

4	16.03997	78.67716	
5	16.62012	79.45007	
6	16.53153	79.44496	
7	16.47800	79.31000	
8	16.17320	79.23708	
9	16.07136	79.21732	
10	15.95114	79.21243	
11	15.92929	79.11756	
12	15.89127	78.92074	
13	15.87622	78.86808	
13	15.87622	78.86808	Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary
14	15.77900	78.84500	
15	15.69100	78.88400	
16	15.56100	78.89700	
17	15.45300	78.86300	
18	15.39700	78.82600	
19	15.44900	78.74600	
20	15.48800	78.68400	
21	15.56000	78.63700	
22	15.69700	78.66400	
23	15.77800	78.62400	
24	15.82500	78.71300	
1	15.86300	78.74243	

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Station	Latitude (N)	Longitude (E)	Sanctuary
A	15.73300	78.61000	Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary
B	15.86642	78.69979	
C	15.97570	78.50460	
D	16.05913	78.49756	
E	16.61847	79.46114	
F	16.52433	79.44743	
G	16.23081	79.33778	
H	15.97874	79.26384	
I	15.88992	79.04887	
J	15.84889	79.17745	
K	15.79700	78.91500	
K	15.79700	78.91500	Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary
L	15.19865	78.86796	
M	15.18359	78.74258	
N	15.29578	78.73825	

O	15.30093	78.63349	
P	15.46261	78.62339	
Q	15.47375	78.62659	
A	15.73300	78.61000	

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NAGARJUNASAGAR SRISAILAM TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of the District	Name of the Division	Name of the Mandal	Name of the Village	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Kurnool	Atmakur	Kothapalli	1. Palem Cheruvu	15.96580	78.59880
			Atmakur	2. Kottala Cheruvu	15.95360	78.61310
			Atmakur	3. Indireswaram Gudem	15.92350	78.64290
			Atmakur	4. S. N.Thanda	15.86780	78.68700
			Pamulapadu	5. Kotha Banakacherla	15.80170	78.53570
			Pamulapadu	6. Natla kothuru	15.78610	78.54340
			Velgodu	7. Sugali thanda	15.70850	78.63570
2	Prakasam	Markapur	Y. Palem	1. Gurrapusala	15.95561	79.23162
			Y. Palem	2. Kolukula	16.00963	79.22551
			Y. Palem	3. Chinna Kolukula	15.99697	79.22386
			Y. Palem	4. Chennarayunipalli	15.99064	79.21903
			Y. Palem	5. V. B. Puram	16.05672	79.25007
			Y. Palem	6. Ellareddypalli	16.06130	79.25724
			Y. Palem	7. G.V. Palli	16.03864	79.20682
			Dornala	8. Nallaguntla	15.86360	78.91930
			Dornala	9. P. Manthanala	15.88140	78.89320
			Dornala	10. Y. Cherlopalli	15.89390	78.96730
			Dornala	11. Chilakacherla	15.89190	79.00440
			Dornala	12. Gantavanipalli	15.91410	79.03760
			Dornala	13. Yadavalli	15.90720	79.06930
			Dornala	14. Pedda Dornala	15.90640	79.09510
			Dornala	15. Bommalapuram	15.94410	79.12840
			Pedda Araveedu	16. Tambadapalli	15.92900	79.18600
			Pedda Araveedu	17. Sanikavaram	15.90570	79.18290
			Pedda Araveedu	18. Ragumanupalli	15.92630	79.24340
			Pedda Araveedu	19. Masirajukunta	15.91160	79.22770
			Pedda Araveedu	20. Gangupalli	15.93250	79.23020
			Dornala	21. Peddamanthanala	15.88140	78.89320
3	Guntur	Markapur	Veldurthy	1. Davupalli thanda	16.23683	79.29350
			Veldurthy	2. Botukulapaya	16.24025	79.26847
			Veldurthy	3. Ramalayam Center	16.29508	79.31067

IndiaCode

			Veldurthy	4. Vazralapadu thanda	16.28697	79.28517
			Veldurthy	5. Papireddykunta thanda	16.29764	79.29753
			Veldurthy	6. Hanumapuram thanda	16.29669	79.29053
			Veldurthy	7. Ramachandrapuram	16.28436	79.29903
			Veldurthy	8. Gangalakunta	16.29894	79.28889
			Veldurthy	9. Kandlakunta	16.38610	79.29483
			Veldurthy	10. Gudipati Cheruvu	16.40406	79.29933
			Veldurthy	11. Ramachandrapuram Thanda	16.31689	79.26742
			Veldurthy	12. Morasapenta Village Center	16.35408	79.28103
			Veldurthy	13. Zendapenta Village Center	16.37075	79.25133
			Veldurthy	14. K.P Gudem Busstand Center	16.39780	79.25750
		Markapur	Macherla	15. Bhiravunipadu Village	16.50235	79.39176
			Macherla	16. Tallapalli Village	16.51210	79.39063
			Macherla	17. 7th Mailu (Veeranjaneyapuram)	16.53572	79.38235
			Macherla	18. Pasuvemula Village	16.52077	79.36211
			Macherla	19. Narayana reddypuram	16.56817	79.41795
			Macherla	20. Econampet	16.57421	79.38905
			Macherla	21. Anupu gate	16.50360	79.28208
			Macherla	22. Chenchu Colony	16.50514	79.29403
			Macherla	23. Anupu Chenchu Colony	16.50371	79.28757
			Macherla	24. Anupu	16.50384	79.28647
			Macherla	25. Chintala thanda	16.52415	79.28915
			Rentachintala	26. Tumurukota	16.55717	79.46027
			Rentachintala	27. Kottagangarjupalli	16.57749	79.45113
			Rentachintala	28. Mallavaram	16.60145	79.47495
			Rentachintala	29. Palvai	16.50010	79.49014
			Rentachintala	30. Matukumalli	16.52026	79.47372
			Rentachintala	31. Gannavaram	16.52259	79.47292
4	Prakasam	Giddalur	Giddalur	1. Diguvametta	15.39629	78.82556
			Giddalur	2. K.S.Palli	15.37069	78.88324
			Giddalur	3. Bayanapalli	15.36681	78.85905
			Giddalur	4. Kanchipalli	15.36178	78.88292
			Giddalur	5. Yellupalli	15.42319	78.89159
			Giddalur	6. Jayarampuram	15.42222	78.88580
			Giddalur	7. Lakshmipuram Thanda	15.44582	78.87895
			Giddalur	8. Jayarampuram Thanda	15.43286	78.87523
			Racherla	9. J.P.Cheruvu	15.50104	78.92523
			Racherla	10. Chinaganipalli	15.52392	78.93881
			Racherla	11. Araveeti Kota	15.57821	78.92735

Draft Rule

			Racherla	12. Kothur	15.58221	78.93594
			Ardhaveedu	13. Ankabhupalem	15.67102	78.93642
			Ardhaveedu	14. Narayanapalli	15.66710	78.95373
			Ardhaveedu	15. Papinenipalli	15.67786	78.93768
5	Kurnool	Nandyal	Bandi Atmakur	1. Narayanapuram	15.648565	78.590077
			Bandi Atmakur	2. G.C.Palem	15.615124	78.585356
			Bandi Atmakur	3. Mandikottagudem	15.618094	78.606628
			Bandi Atmakur	4. Somayajulapalli	15.569371	78.583780
			Bandi Atmakur	5. Kadamalakalva	15.529708	78.584928
			Mahanandi	6. Vengalareddypeta	15.525560	78.576271
			Mahanandi	7. Puttupalli	15.494284	78.575123
			Mahanandi	8. Mahanandi	15.469411	78.628663
			Mahanandi	9. Srinagaram	15.464247	78.599297
			Mahanandi	10. Gajulapalli	15.403805	78.619835
			Mahanandi	11. Basavapuram	15.409053	78.631675
			Sirivella	12. Mahadevapuram	15.389790	78.629755

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.22 14:42:17 +05'30'